

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम ओसियाँ
एजडाडा कलेक्टर कारोबा बनाम जेजाकरा परेया शाह
किस्म मुकदमा 212 R.T. Act नं. 98 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>27/6/18</p> <p>30/7/18</p> <p>17/9/18</p> <p>31/10/18</p>	<p>प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तबका बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपरोक्त दस्तावेजों का अपलोडिंग किया। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व उपप्रार्थीगण के बहस विवाद हैं।</p> <p>अतः उपप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कठोर पाबंद किया जाता है कि वे शकस्य ग्राम कोटडा के थ.नं. 01 बरका 50-17 वीथ प्लुमी पर सांगी जारी पेशी तक विवादित आराजी से प्रार्थीगण को एक दिवस तक रेकॉर्ड एवं नोटों की सम्बन्धी बनाये रखे।</p> <p>उपप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वलक कब पत्रावली वास्ते इस्त्राजार लखी दिनांक 30/7/18 को पेश है।</p> <p>30/7/18</p> <p>17/9/18</p> <p>31/10/18</p>	<p>27/06/18</p> <p>अ सण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर व कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियाँ</p>

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

26/1/18

पञ्जावली पेश हूँ वही वही वही वही वही वही वही
का वही वही वही पञ्जावली के उम्मीद
उपलब्ध है

पञ्जावली वाले गवाह हउडिम
मिठा 19 की पेश हूँ

पञ्जावली

17/1/19

कोर्ट
दिल्ली

पञ्जावली पेश हूँ। अतिरिक्त पेश हूँ
सुल पत्र में जरिये पेश किया गया जो स्वीकार
का पत्र पेश किया गया जो स्वीकार
किया गया। पुकी सुल पत्र स्वीकार
किया जा चुका है। इसलिये स्वीकार
पत्र का कोई औचित्य नहीं है।

सोहन लाल
पेश
पेश
पेश

अतः उक्त पत्र जरिये
पेश किया जाता है। पञ्जावली
पेश सुधार होकर से कास की
जाकर सुलवाद के साथ नही होकर
करिये दफ्तर है।

पञ्जावली

पेश
पेश

रा मु जो